

# प्लास्टिक हटाओ, जन जीवन बचाओ



पर्यावरण को बचाना है  
प्लास्टिक को जड़ से मिटाना है

## प्रतिबंध

- 200 मिली. से कम की पानी की बोतलें
- प्लास्टिक पाउच (50 माईक्रोन से कम)
- प्लास्टिक कैरी बैग/सजावटी बैग
- बिना बुना हुआ बैग (Non-woven)
- थर्माकोल/प्लास्टिक से निर्मित प्लेट्स, ग्लास, कप, चम्मच, कटोरी व अन्य सामग्री
- होटल में खाना पैक करने की प्लास्टिक से बनी थाली/सामग्री और स्ट्रॉ (Straw)
- खाद के लिए प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक
- सजावट के उपयोग में आने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं



## इस्तेमाल करने योग्य

- 200 मिली. से अधिक की पी.ई.टी./पी.ई.टी.ई. बोतलें
- आयात/निर्यात के सामान को पैक करने वाली प्लास्टिक सामग्री
- खेती, बागवानी, नर्सरी में काम आने वाले प्लास्टिक बैग
- पैकेजिंग के काम में आने वाले पेपर से बने कार्टन, जिन पर प्लास्टिक की परत चढ़ी हो
- दूध भरने का वर्जिन प्लास्टिक (50 माईक्रोन से अधिक) आने वाले थिक (Thick) प्लास्टिक बैग (buy back option के साथ)
- रिसाईकिल योग्य कई परत वाले प्लास्टिक
- घरेलू उपयोग में आने वाला प्लास्टिक
- दवाईयां एवं चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरण
- रिसाईकिल होने वाली स्टेशनरी सामग्री
- अन्य प्लास्टिक उत्पाद जैसे: सीमेंट के कट्टे, त्रिपाल, बरसाती कोट

## प्लास्टिक के विकल्प



कॉटन बैग    केनवास बैग    जूट बैग    बैबू बैग    डेनिम बैग    पेपर बैग    बायोडिग्रेडेबल बैग

## प्लास्टिक को विघटित होने में लगने वाला संभावित समय




प्लास्टिक बैग  
20 वर्ष



कॉफी कप  
30 वर्ष



प्लास्टिक स्ट्रॉ  
200 वर्ष



6 पैक प्लास्टिक रिंग्स  
400 वर्ष



पानी की बोतल  
450 वर्ष



कॉफी पॉड  
500 वर्ष



प्लास्टिक कप  
450 वर्ष



डिस्पोजल डायपर  
500 वर्ष



प्लास्टिक दूधब्रश  
500 वर्ष

जनहित में जारी:

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

Website : [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in) | E-mail: [rj-slsa@nic.in](mailto:rj-slsa@nic.in), [rslsajp@gmail.com](mailto:rslsajp@gmail.com)

हेल्प लाईन नं. : 15 100/9928900900 | Phone No.: 0141-2227481



# पर्यावरण को बचाना है प्लास्टिक को जड़ से मिटाना है

## प्रतिबंध



200 मिली.  
से कम की  
पानी की बोतलें

## प्रतिबंध

प्लास्टिक  
पाउच  
(50 माईक्रोन  
से कम)



## प्रतिबंध



प्लास्टिक  
कैरी बैग/  
सजावटी बैग

## प्रतिबंध

बिना बुना  
हुआ बैग  
(Non-woven)



## इस्तेमाल करने योग्य



200 मिली. से अधिक की  
पी.ई.टी./पी.ई.टी.ई. बोतलें

## इस्तेमाल करने योग्य

आयात/निर्यात के  
सामान को पैक करने  
वाली प्लास्टिक सामग्री



## इस्तेमाल करने योग्य



खेती, बागवानी,  
नर्सरी में काम आने  
वाले प्लास्टिक बैग

## इस्तेमाल करने योग्य

पैकेजिंग के काम  
में आने वाले पेपर से  
बने कार्टन, जिन पर  
प्लास्टिक की परत चढ़ी हो



## इस्तेमाल करने योग्य

दूध भरने का वर्जीन प्लास्टिक  
(50 माईक्रोन से अधिक)  
आने वाले थिक (Thick)  
प्लास्टिक बैग (buy back  
option के साथ)



जनहित में जारी:

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर  
Website : [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in) | E-mail: [rj-slsa@nic.in](mailto:rj-slsa@nic.in), [rslsajp@gmail.com](mailto:rslsajp@gmail.com)  
हेल्प लाईन नं. : 15100/9928900900 | Phone No.: 0141-2227481



## प्रतिबंध



थर्मकोल/  
प्लास्टिक से निर्मित  
प्लेट्स, ग्लास, कप,  
चम्मच, कटोरी व  
अन्य सामग्री

## प्रतिबंध

होटल में खाना  
पैक करने की  
प्लास्टिक से बनी  
थाली/सामग्री और  
स्ट्रॉ (Straw)



## प्रतिबंध



खाद के लिए  
प्रयुक्त होने  
वाला प्लास्टिक

## प्रतिबंध

सजावट के  
उपयोग में आने वाली  
प्लास्टिक की वस्तुएं



## इस्तेमाल करने योग्य



रिसाईकिल योग्य  
कई परत वाले  
प्लास्टिक

## इस्तेमाल करने योग्य

घरेलू उपयोग  
में आने वाला  
प्लास्टिक



## इस्तेमाल करने योग्य



दवाईयां एवं  
चिकित्सा में उपयोग  
होने वाले उपकरण

## इस्तेमाल करने योग्य

रिसाईकिल होने  
वाली स्टेशनरी जो  
शिक्षा एवं कार्यालय  
के उपयोग योग्य



## इस्तेमाल करने योग्य



अन्य प्लास्टिक  
उत्पाद जैसे:  
सीमेंट के कटटे,  
त्रिपाल, बरसाती कौट



जनहित में जारी:

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

Website : [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in) | E-mail: [rj-slsa@nic.in](mailto:rj-slsa@nic.in), [rslsajp@gmail.com](mailto:rslsajp@gmail.com)

हेल्प लाईन नं. : 15100/9928900900 | Phone No.: 0141-2227481

